न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारीः– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

.सं. 44/2019
ी.सी.एम.एस. : 2019/00145

1. सुखवीरसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी 83 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–:प्रार्थी

बनाम

1. सुखपाल कौर पत्नी बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 83 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरमीत सिंह
3. लखवीर सिंह
4. दर्शन कौर
5. राजकौर
6. सरजीत कौर

(2 से 6) पिसरान बलवन्तसिंह जाति जटसिख निवासी 83 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–
1. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील प्रार्थी
2. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 1 ता 6

–: निर्णय :–

दिनांक :16.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पति/पिता बलवन्तसिंह के नाम से चक 83 आरबी तह. रायसिंहनगर के खाता सं. 73/61 के मु.नं. 19 प.नं. 238/267 की कुल 1.988है. बारानी भूमि खातेदारी थी। जो बलवन्त सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में घरू बंटवारा में प्रार्थी को दे दी थी, और राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के भाई बलवन्तसिंह के नाम होने के कारण प्रार्थी को इकरारनामा करवा दिया था। तथा बाद में विवाद ना हो इसलिए एक शपथ पत्र कब्जा प्रार्थी के हक में तहरीर तकमील भी करवा दिया था। बलवन्तसिंह का स्वर्गवास हो चुका है उक्त भूमि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में खडी फसल समेत भूमि विक्रय करके कब्जा किसी अन्य को सुपुर्द करना चाहते हैं। यदि अप्रार्थीगण के द्वारा भूमि विक्रय कर दी जाती हैं। तो प्रकरण का मूल मकसद ही समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में हैं। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कि चक 83 आरबी खाता सं. 73/61 के मु.नं. 19 प.नं. 238/267 की कुल 1.988 [illegible] कब्जा काश्त की भूमि को किसी अन्य को रहन बैय व किसी दीगर त[illegible] सुपुर्द करने से निषेध रहें। जारी करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 27.10.2020 को नोटिस तामील [illegible] बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बलवन्त सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी को इकरारनामा करवा दिया था एवं एक शपथ पत्र कब्जा प्रार्थी के हक में तहरीर तकमील करवा दिया था।

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.04 14:14:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यदि अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित नहीं की जाती हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी की प्रति संवत 2076–2079 चक 83 आरबी रायसिंहनगर खाता सं. 73/61 की प.नं. 236/267 मु.नं. 21 की 1.492है. नहरी, प.नं. 238/267 मु.नं. 19 की 1.998है. बारानी कुल 3.490है. नहरी/बारानी भूमि बलवन्त सिंह पुत्र गुरनाम सिंह हिस्सा 1/2 एवं सुखपाल कौर पत्नी बलवन्त सिंह हिस्सा 1/2 जाति जटसिख सा0 देह खातेदार राहिन पूर्णखाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा 1 एफएफ बी दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया गया हैं। जिसका निर्णय वाद बिन्दू कायम कर साक्ष्यों के आधार पर गुण अवगुण के आधार पर किया जाना हैं। अप्रार्थी सं. 1 खातेदार टिनेंट हैं। अतः किसी खातेदार टिनेंट के विरूद्ध निषेधाज्ञा पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, राजस्व
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.04 14:44:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner